

158/c

(TO BE PUBLISHED IN DELHI GAZETTE-EXTRA ORDINARY PART-IV)

**DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES, & CONSUMER AFFAIRS AND
WEIGHTS & MEASURES, GOVT. OF NCT OF DELHI
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI**

NOTIFICATION

No.F.7(63)MWM/2000/- In exercise of the powers conferred by Sub-Sec(1) of Sec(5) of the Standards of Weights & Measures (Enforcement) Act, 1985 (No.54 of 1985) and read with the section 3(n) of said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri D.P. Dwivedi, as Controller (Weights & Measures) to be the Controller of Legal Metrology for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi.

The Government's earlier notification No.F.7(63)MWM/2000/2501-2511 dated 31.08.2007 appointing Sh. S.P. Singh as Controller of Legal Metrology is hereby cancelled.

**By order and in the name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi.**


(S.S.RATHORE)


Jt. Secy. cum Jt. Commissioner (F&S)
Deptt. of Food & Supplies
Govt. of NCT of Delhi

No.F.7(63)MWM/2000/ 155

Dated:- 22/4/08

Copy forwarded

1. Commissioner (F&S), K. Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
2. Director (Vig), Dte. Of Vigilance, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
3. Secretary, Department of Law & Justice, Govt. of NCT of Delhi.
4. Joint Secy. (Services), Services Department, Govt. of NCT of Delhi.
5. Director, Legal Metrology, Krishi Bhawan, Govt. of India, New Delhi.
6. Dy. Secy. (GAD), Co-ordination Branch, Govt. of NCT of Delhi with 2 copies for publication in Part-IV Extra Ordinary Delhi Gazette.
7. Concerned Court.
8. Addl. Commissioner (Admn), F&S Department, Govt. of NCT of Delhi.
9. Director, Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
10. Officer Concerned.
11. Guard File.


(S.S.RATHORE)

Jt. Secy. cum Jt. Commissioner (F&S)
Deptt. of Food & Supplies
Govt. of NCT of Delhi

157/c

दिल्ली राजपत्र भाग -4 असाधारण में प्रकाशनार्थ

कार्यालय आयुक्त , खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, माप तोल विभाग, दिल्ली सरकार
'के' ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली -2


दिनांक:

अधिसूचना

सं.फा. 7(63)एम.डब्ल्यू.एम/2000/मानक बॉट एवं माप(प्रवर्तन) अधिनियम (1985 का 54) की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित इसकी धारा 3 (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बॉट एवं माप के नियन्त्रक श्री डी.पी. द्विवेदी, को विधिक माप पद्धति का सहायक नियन्त्रक नियुक्त करते हैं।

श्री एस.पी.सिंह, नियन्त्रक विधिक माप पद्धति के रूप में नियुक्ति की उक्त धारा 5(1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं.फा.7(63)/एम.डब्ल्यू.एम/2000/2501-11 दिनांक 31-08-07 को रद्द करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के
आदेश तथा उनके नाम पर


(एस.एस. रठौर)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त (खाद्य एवं सम्भरण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली

सं.फा. 7(63)एम.डब्ल्यू.एम/2000/145-155

o/c

दिनांक: 22/11/08

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, खाद्य एवं सम्भरण, बाट एवं माप तोल व उपभोक्ता मामले, दिल्ली सरकार, "के" ब्लॉक विकास भवन, नई दिल्ली-2।
2. सचिव, विधि एवं न्याय विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. निदेशक, माप एवं तोल विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, दिल्ली।
4. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, (सेवाएँ), सेवा विभाग-1, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
6. नियन्त्रक, माप एवं तोल विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) खाद्य एवं सम्भरण विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कोआर्डिनेशन) दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, को दो प्रतियाँ असाधारण, दिल्ली राजपत्र भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
9. सम्बन्धित न्यायालय।


(एस.एस. रठौर)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त (खाद्य एवं सम्भरण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली

o/c